[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
[केन्द्रीय सीमाशुल्क और उत्पाद-शुल्क बोर्ड]

अधिसूचना सं. 37/2017–केन्द्रीय कर

नई दिल्ली, तारीख 4 अक्टूबर, 2017

सा.का.नि. (अ).—केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड, केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 54 और एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 20 और केन्द्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 96क के उपनियम (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि.848(अ), तारीख 7 जुलाई, 2017 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं0 16/2017-केन्द्रीय कर, तारीख 7 जुलाई, 2017 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया था या करने का लोप किया गया था, किसी ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा, जिसका आशय एकीकृत कर का संदाय किए बिना निर्यात के लिए माल या सेवाओं के प्रदाय का है, बंधपत्र के स्थान पर परिवचन पत्र देने के लिए शर्तें और रक्षोपाय विनिर्दिष्ट करता है—

(i) ऐसे मामलो में, जहां अपवंचित कर की रकम दौ सौ पचास लाख रुपए से अधिक है, तथा जिन्हें केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) या एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) या किसी प्रवृत्त विद्यमान विधि के अधीन किसी अपराध के लिए अभियोजित किया गया है, उन व्यक्तियों के सिवाय, ऐसे सभी व्यक्ति, जिनका आशय एकीकृत कर का संदाय किए बिना निर्यात के लिए माल या सेवाओं के प्रदाय का है, बंधपत्र के स्थान पर परिवचन पत्र देने के पात्र होंगे;

(ii) किसी वित्तीय वर्ष के लिए, परिवचन पत्र रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के शीर्षनामे पर, दो प्रतियों में, केन्द्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 96क के उपनियम (1) में निर्दिष्ट प्ररूप जीएसटी आरएफडी-11 के उपाबंध में दिया जाएगा और यह कार्यरत भागीदार, प्रबंध निदेशक या कंपनी सचिव या स्वत्वधारी द्वारा या ऐसे कार्यरत भागीदार या ऐसी कंपनी के निदेशक बोर्ड या स्वत्वधारी द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा निष्पादित किया जाएगा;

(iii) यदि कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, केन्द्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 96क के उपनियम (1) में यथाविनिर्दिष्ट देय कर और ब्याज का भुगतान उक्त उपनियम के उपवाक्य (क) अथवा (ख) में उल्लिखित

अवधि में जमा नहीं कर पाता है तो यह माना जाएगा कि बिना एकीकृत कर का भुगतान किए निर्यात करने की जो सुविधा दी गई है वह वापस ले ली गई है और यदि उक्त उप-नियम में उल्लिखित राशि का भुगतान कर दिया जाता है, तो बिना एकीकृत कर का भुगतान किए निर्यात करने की जो सुविधा दी गई है वह बहाल हो जाएगी।

2. इस अधिसूचना के उपबंध, यथा आवश्यक परिवर्तनों, सहित किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति (जिसके अंतर्गत विशेष आर्थिक जोन विकासकर्ता या विशेष आर्थिक जोन इकाई भी है) द्वारा किसी विशेष आर्थिक जोन विकासकर्ता या विशेष आर्थिक जोन इकाई को एकीकृत कर का संदाय किए बिना किए गए माल या सेवाओं या दोनों के जीरो रेटेड प्रदाय के संबंध में लागू होंगे ।

[फा0 सं0.349/74/2017-जीएसटी (पी.टी) खंड - II]

(रोहन)
अवर सचिव, भारत सरकार